फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रविकान्त / सरकार

किस्म मुकदमा : **दावा** मु0नं0 48/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.3.22	पत्रावली पेश । वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस दावा सुनी गई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम उदयपुरा में ख0न0 548, 515, एवं 517 है जिसमें प्रार्थी का नाम रविकुमार पुत्र दुर्गालाल दर्ज है जो कि गलत है क्योंकि प्रार्थी का सही नाम रविकान्त मीरवाल पुत्र दुर्गाप्रसाद है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों का मनन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उदयपुरा में ख0न0 548, 515, एवं 517 में प्रार्थी का नाम रविकुमार पुत्र दुर्गालाल के स्थान पर रविकुमार उर्फ रविकान्त मीरवाल पुत्र दुर्गाप्रसाद दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	